

आदेश

राज्य के पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	सदस्य
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
4. श्री महेन्द्र भारद्वाज, मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री	सदस्य
5. श्री एलपी पंत, दैनिक भास्कर	सदस्य
6. श्री आशुतोष शर्मा, राजस्थान पत्रिका	सदस्य
7. श्री अखिलेश सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया	सदस्य
8. श्री भवानी सिंह देवडा, आईबीएन-7	सदस्य
9. श्रीमती हर्षा सिंह, एनडी टीवी	सदस्य
10. श्री महेश शर्मा, दैनिक नवज्योति	सदस्य
11. श्री शरत कुमार, आज तक	सदस्य
12. श्री वीरेन्द्र सिंह-राठौड़, समाचार जगत्	सदस्य
13. श्री राजीव जैन, जनसत्ता	सदस्य
14. श्री पुरुषोत्तम दिवाकर, प्रेस फोटोग्राफर, इंडिया टूडे	सदस्य
15. श्री राधारमण शर्मा, अध्यक्ष, पिकसिटी प्रेस क्लब	सदस्य
16. श्री महेश शर्मा, ईटीवी, राजस्थान	सदस्य
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	सदस्य सचिव

यह समिति राज्य भर के पत्रकारों को आवासीय सुविधा के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग पर विचार कर राज्य सरकार को ठोस सुझाव देगी तथा उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी।

यह समिति योजना के क्रियान्वयन के लिए पत्रकारों से आवेदन आमंत्रित करने के नॉर्म्स तय करेगी तथा पत्रकारों के आवास समस्या के संबंध में सभी कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए उपाय सुझायेगी।

समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा समिति का प्रशासनिक विभाग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग होगा।

आज्ञा से,

र. भा. 14
(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, मा.मुख्यमंत्री(मंत्री,सूजस) महो.।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूजस।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
6. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग।
8. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
9. आवासीय समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण।
10. रक्षित पत्रावली।

र. भा. 14
शासन उप सचिव
29/7/15